न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 30 / 2018 दायरा दिनांक : 07.02.2018

उनवान

मोहन लाल पुत्र भंवरया, जाति नाथ, निवासी गुरूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र लाला, जाति नाथ, निवासी गुरूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2– रामप्रताप पुत्र लाला, जाति नाथ, निवासी गुरूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3– बलराम पुत्र लाला, जाति नाथ, निवासी गुरूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– रामचन्द्र पुत्र लाला, जाति नाथ, निवासी गुरूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– गोपाली बाई बेवा लाला, जाति नाथ, निवासी गुरूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू- प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री देवकी नन्दन गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या 67/2015 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम गुरूखेड़ी, तहसील छीपाबडोद की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में खाता संख्या नया 69 पुराना 61 की आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 12 बिस्वा, जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में खाता संख्या नया 71 पुराना 60 की आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा स्थित है । जिसके सम्बन्ध में विवाद है । खसरा नम्बर 141 में वादी को 1/2 हिस्सा और खसरा नम्बर 11 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा में वादी का 15/126 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना और संयुक्त कब्जे काश्त में होना दर्ज कर प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 12 बिस्वा में अपने हिस्से से अधिक आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने व लडाई–झगडा करने के कारण पक्षकारों के मध्य दर्ज सहखातेदार की भूमि को जर्ये बंटवारा अलग अलग करने और प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसके जवाब में प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 11 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा में वादी का 15/126 हिस्सा पृथक किये जाने में

टंकणकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अनापत्ति दर्ज करवायी, परन्तु खसरा नम्बर 141 रकबा 12 बिस्वा के बाबत वादी के पिता द्वारा दिनांक 11.08.1970 को उसका हिस्सा 1/2 75/– रूपये में प्रतिवादीगण के पिता/पति लाला नाथ को बेचने का कथन करते हुए पांच रूपये के स्टाम्प पेश किया, जिसके बाबत प्रतिवादीगण ने काउंटर क्लेम भी पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम कर बाद शहादत वादी अपीलांट का दावा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 11 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा में वादी अपीलांट का 15/126 हिस्सा बंटवारे में देने की एवं खसरा नम्बर 141 रकबा 12 बिस्वा में कब्जे अनुसार हिस्सा देने की प्राथमिक डिक्री जारी की है और तहसीलदार छीपाबडोद को कब्जे की रिपोर्ट के साथ बंटवारा स्कीम भेजने हेतु कहा है। वादी अपीलांट ने उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड और साक्ष्य के विपरीत है एवं सिद्धी प्राप्त विधि सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम का जवाब वादी को देने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, काउंटर क्लेम विधि के अनुकूल नहीं है और काउंटर क्लेम के साथ फोटो प्रति स्टाम्प तारीख 11.08.1970 व साक्ष्य में ग्राहय नहीं होते हुए भी उसे मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी के अपीलांट सहखातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी मोहनलाल का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है तथा विवादित आराजी वाके ग्राम गुरूखेडी, तहसील छीपाबडोद के खसरा नम्बर 141 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 11 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार पृथक पृथक विभाजन करने हेतु तहसीलदार छीपाबडोद को आदेशित किया है। साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए)
प्रमण्ड अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टलर
पू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (रा.प.)

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट मोहन लाल द्वारा यह अपील पेश की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.01.2018 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.01.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करें एवं वादग्रस्त आराजी पृथक पृथक खाते उभयपक्षकारान के दर्ज कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.11.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमण अम्बुर सिंह पाल